शोध मंथन Vol. XV No.II Apr.-June 2024 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

भारत में सूचना का अधिकार– भ्रष्टाचार पर एक अंकुश

प्राप्तिः 20.06.2024
स्वीकृतः 26.06.2024

डॉ० (श्रीमती) नीरज
असिस्टेन्ट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान
राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर
ईमेलः

53

सारांश

वर्तमान समय सूचना क्रान्ति का है जो समाज एवं व्यक्ति दोनों को आधार एवं आकार देती है। इसलिए मानव समाज आरम्भ से ही सूचनाओं के सम्प्रेषण तथा संचार के विकास से जुड़ा रहा है। सूचना के इस युग में देश, नागरिक और समाज अधिक से अधिक सूचनाएँ ग्रहण करने लगे हैं क्योंकि सूचनाओं का प्रवाह जिन देशों में हो रहा है वे सभी विकसित देशों की श्रेणी में हैं। प्रजातंत्र एवं सद्शासन की नयी परिकल्पनाओं ने नागरिक अधिकार की श्रेणी में वृद्धि की है जिसका परिणाम है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है जिसके द्वारा वह यह जान सकता है कि सार्वजनिक सत्ता किस रूप में कार्य कर रही है? तथा इस सत्ता के द्वारा लोक कल्याण के किन कार्यों एवं नीतियों को संपादित किया जा रहा है?

समस्त देशों की भाँति भारत में भी सन् 1987 में सूचना की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित भारतीय अधिनियम बनाया गया जो सरकार के नियन्त्रण में रखी सूचनाओं को सार्वजनिक हित में प्राप्त कर सकते हैं जिससे सरकार की पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को बढ़ाया जा सके।

भ्रष्टाचार भारत में एक महामारी की भाँति फैला हुआ हैं आप जिस क्षेत्र में भी नजर उठाकर देखेंगे वहीं आपको भ्रष्टाचार फलता–फूलता दिखाई देगा। भ्रष्टाचार सार्वजनिक सत्ता का अपने निजी स्वार्थो हेतु दुरूपयोग करना है। भारत में तो सत्ता का दुरूपयोग करना एक आम बात है। इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ही ''सूचना अधिकार अधिनियम–2005'' अस्तित्व में आया।

सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियन्त्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतन्त्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना है, क्योंकि सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार पर एक प्रहार है।

मुख्य बिन्दु

संचार, सूचना, अधिकार, अधिनियम, भ्रष्टाचार, लोकतन्त्र, पारदर्शिता, जवाबदेहिता।

सूचनाऐं जीवन और समाज दोनों को आकार और दिशा देने का कार्य करती हैं, इसीलिए मानव समाज के प्रारम्भ से ही सूचनाओं का आदान–प्रदान और संचार मानव जीवन के विकास से जुड़ा हुआ है। सूचना के इस युग में देश, नागरिक और समाज अधिक से अधिक सूचना ग्रहण करने में लगे हैं, क्योंकि वर्तमान युग सूचना की शक्ति को प्रदर्शित करता है। जिन देशों में सूचना का प्रवाह अत्यधिक मात्रा में हो रहा है, ऐसे सभी देश विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हैं। लोकतन्त्र एवं सुशासन की नयी परिकल्पनाओं ने नागरिक अधिकारों की नयी श्रेणी में वृद्धि की है। इस वृद्धि का ही परिणाम हमारे सामने सूचना के अधिकार के रूप में दिखाई देता है। सूचना का अधिकार शासन व प्रशासन की पारदर्शिता का द्योतक है जोकि सुशासन का आवश्यक तत्व है और जिस शासन व प्रशासन में पारदर्शिता होगी वहां भ्रष्टाचार जैसे शब्द शीघ्रातिशीघ्र अपने अस्तित्व को खो देंगे, परन्तु भारत जैसे विकासशील देश में सूचना के अधिकार को अस्तित्व में आये हुए उन्नीस वर्ष होने जा रहे हैं, किन्तु भ्रष्टाचार के विश्वस्तरीय पैमाने पर आज भी विश्व के 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 2023 में 93वें स्थान पर है।[1] लोकतान्त्रिक प्रणाली वाले देशों में जनमत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जनता के हाथों में ''सूचना का अधिकार'' है, जिसके द्वारा वह सरकार पर अंकुश लगा सकती हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र में सूचना के अधिकार का उपयोग भ्रष्टाचार के निवारण में किस प्रकार से किया जा सकता है, इस परिप्रेक्ष्य का विश्लेषणात्मक अन्वेषण किया जा रहा है। शोध पत्र के इस विषय के चयन का उद्देश्य यह है कि ''सूचना का अधिकार अधिनियम–2005'' का उपयोग क्या सच्चे अर्थों में आम जनता द्वारा किया जा रहा है, और जनता को इस अधिकार के माध्यम से क्या शासन सम्बन्धी जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं? साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस अधिकार के आने के बाद भारत में भ्रष्टाचार पर कुछ नियन्त्रण हुआ है या नहीं और यह अधिकार लोकतन्त्र के रक्षक के रूप में कैसे कार्य करता है?

सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में

अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के चार्टर में यद्यपि सूचना के अधिकार को मुख्य मानवाधिकार के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया था, परन्तु इसे बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के रूप में माना गया था। 1948 में साधारण सभा में विश्व मानवाधिकार घोशणा पत्र स्वीकार किया था, जिसके अनुच्छेद 19 में कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार है तथा यह अधिकार विचारों को बिना किसी हस्तक्षेप के रखने और किसी भी संचार माध्यम के द्वारा विचारों एवं सूचनाओं को प्राप्त करने तथा भेजने के अधिकार को समाहित करता है।

भारत में भी 1987 में सूचना की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित भारतीय अधिनियम बनाया जो नागरिकों को अधिकार देता है कि वे सार्वजनिक सत्ता के नियन्त्रण में रखी सूचना को सार्वजनिक हित में प्राप्त कर सकते हैं, ताकि सरकार में पारदर्शिता व जवाबदेहिता को बढ़ाया जा सके। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 को मौलिक अधिकर के रूप में संविधान में 12 अक्टूबर 2005 में पूर्ण धाराओं के साथ धारा 19(1)–क में शामिल किया गया। अब यह भारत में एक मौलिक अधिकार है।[2]

वस्तुतः सूचना का अधिकार देश के हर नागरिक की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसके द्वारा यह जान सकते हैं कि वह किस प्रकार के शासन में कैसी सरकार के संरक्षण में रह रहा है तथा

सरकार उसके हित में कौन–कौन से कार्य कर रही है? इस सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सरकार की गुप्त सूचनाओं को भी जानने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जो वे सामान्य स्थिति में कभी भी प्रदान नहीं करते।

भारत में सूचना का अधिकार

भारत में सूचना का अधिकार से तात्पर्य है सूचना तक पहुंचाने का अधिकार। इसी जानने के अधिकार का पक्ष अट्ठारहवी सदी में जर्मनी के विख्यात विचारक कान्ट ने ज्ञानोदय की व्याख्या अपने एक ऐतिहासिक लेख में प्रस्तुत की थीं जिसमें उन्होंने आह्वान किया था ''जानने का साहस करो''।[3] इससे स्पष्ट होता है कि जानने का अधिकार कोई नई धारणा नहीं है अपितु यह सदियों पुरानी विचाराधारा है कि जानने से ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि ज्ञान शक्ति की कुंजी है।

सूचना का अधिकार लोकतन्त्र के मूल्य एवं विकास का एक आवश्यक मन्त्र बन गया है जोकि लोकतांत्रिक अवधारणाओं में एक आधार बिन्दु के रूप में प्रदर्शित होने लगा है, क्योंकि यह–

1. सहभागी जन्तन्त्र को अर्थपूर्ण बनाता है।
2. यह सरकार में विश्वास उत्पन्न करता है।
3. यह नागरिक अथवा जनविकास में सहयोग करता है।
4. यह भ्रष्टाचार को रोकता है।
5. यह व्यवस्था में पारदर्शिता उत्पन्न करता है।
6. सूचना के माध्यमों की क्षमता को बढ़ाता है।[4]

इस लोक कल्याणकारी कानून (सूचना का अधिकार) में सूचना को बड़े ही विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है। सूचना वस्तुतः ''अनेक प्रकार की जानकारियाँ हैं भले ही वह किसी भी रूप में हो, इसमें समाविष्ट हो गयी हैं।'' जैसे– अभिलेख, ईमेल, सलाह, विचार, प्रेसविज्ञप्ति, आदेश, दस्तावेज, रिपोर्ट, नमूने व इलैक्ट्रोनिक आंकड़ों के रूप में अंकित या निजी संस्थानों से जुड़ी ऐसी प्रत्येक सूचना सहजतापूर्वक प्राप्त कर सकता है, जिस तक केवल लोक अधिकारी की पहुँच होती थी।

विश्व के 121 देशों ने किसी न किसी रूप में सूचना के अधिकार को अपने संविधान में शामिल किया है। सूचना का अधिकार (आर0टी0आई0) कानून सबसे पहले स्वीडन में 1766 में लागू किया गया था। भारतीय सन्दर्भ में सूचना का अधिकार की स्थिति प्रारम्भ में तो बहुत उग्र नहीं थी, परन्तु विकास के दौर में भारत में भी सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 अस्तित्व में आया है। अक्टूबर 2005 में अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार नागरिकों को जानकारी पहुंचाने एवं सक्रिय खुलासों को प्रकाशित करने के लिए जन सूचना अधिकार (पी0आई0आर0) और अपीलीय प्राधिकारी (ए0ए0) नामित किये गये हैं।[5]

भारत में सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार पर एक अंकुश

भारत में सूचना के अधिकार के माध्यम से जनमानस सूचनाऐं प्राप्त करके समाज के हितों को पूरा करने का कार्य कर रहे हैं। जिससे देश में सूचनाओं का प्रसार आसानी से हो पा रहा है। सूचनाओं के प्रसार के साथ ही साथ भ्रष्टाचार नाम की विशबेल का भी प्रसार दिन दोगुना रात चौगुना

बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार से उबरने के लिये सरकारों के द्वारा समय–समय पर विशेष कानूनों का निर्माण किया गया। भ्रष्टाचार और सूचना के अधिकार के परस्पर सम्बन्धों को जानने से पहले यह आवश्यक है कि भ्रष्टाचार की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझा जाए।

भ्रष्टाचार की अवधारणा यह है कि कोई भी रिश्वत का कार्य भ्रष्टाचार में समाहित है। डी0एच0 बेली ने भ्रष्टाचार को इस प्रकार परिभाषित किया है कि निजी लाभ के विचार के परिणामस्वरूप सत्ता का दुरूपयोग जो धन सम्बन्धित नहीं भी हो सकता है, भ्रष्टाचार कहलाता है। इसी संदर्भ में एन्डिस्नी ने भी कहा कि ऐसे तरीकों से सार्वजनिक शक्ति का निजी लाभ के लिए प्रयोग जो कानून का उल्लंघन करता हो, भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है।[6]

वर्तमान में सार्वजनिक शक्ति का अपने हित में प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग तेजी से हो रहा है। सरकार की तरफ से आने वाली सरकारी योजनाऐं जो जनहित को ध्यान में रखकर चलायी जाती हैं, उस पैसे को हमारी अफसरशाही हड़प लेती है। तभी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 राजीव गांधी ने भ्रष्टाचार को लक्षित करके कहा था कि विकास के लिए निर्धारित एक रूपये में से लक्षित वर्ग तक मात्र 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं शेष 85 पैसे कहा जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। सूचना का अधिकार उन 85 पैसे के हिसाब की मांग है।[7]

भ्रष्टाचार को गहराई से समझने के पश्चात् इस शोध पत्र में अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार पर कोई लगाम लगा सकता है अथवा नहीं? क्या सूचना के अधिकार के माध्यम से हम भ्रष्टाचार की जड़ों को उखाड़कर फैंक सकते हैं?

सूचना का अधिकार वह हथियार है जिससे भ्रष्टाचार रूपी बीमारी का इलाज सम्भव हो सकता है तथा समाज को भ्रष्टाचार से मुक्त करने हेतु जनमानस प्रयत्नशील है। भ्रष्टाचार ने लोकतन्त्र की जड़ों को खाकर खोखला कर दिया है जिसके कारण देश की स्थिति को जानने के लिये आम जनता सूचना के अधिकार के द्वारा सूचनाऐं प्राप्त कर रही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 भ्रष्टाचार के विरूद्ध एक हथियार के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरण से पूछताछ करने और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। भारत में भ्रष्टाचार की जड़े इतनी मजबूत थी कि भारत में भ्रष्टाचार के रूप में 8 बड़े घोटालों को कभी भूला नहीं जा सकता जिसमें 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, राष्ट्रमण्डल खेल घोटाला, तेलगी घोटाला, सत्यम घोटाला, बोफोर्स घोटाला, चारा घोटाला, हवाला काण्ड और आईपीएल घोटाला प्रमुख हैं। इन घोटालों की भी विस्तृत जानकारी सूचना अधिकार के माध्यम प्राप्त की गयी। तभी अन्य घोटाले भी भारत के नागरिकों के समक्ष आ सकें।[8]

आज अगर देखा जाये तो भारत के नागरिकों के पास सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के रूप में एक ऐसा हथियार है जिसके प्रयोग से वह शासन व सत्ता से किसी भी प्रकार की गोपनीय सूचनाऐं आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इन सूचनाओं के आदान–प्रदान से देश में जवाबदेहिता व पारदर्शिता बढ़ रही है जो किसी भी विकासशील देश के लिए आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त करती हैं।

शोध पत्र के सभी बिन्दु के अध्ययन के पश्चात् निष्कर्ष यह निकलता है कि भारत एक विकासशील देश है जहाँ भ्रष्टाचार ने अपने विशालकाय पैर पसार रखे हैं परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में कमी आयी है। भारत ही नहीं विश्व में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया जा चुका है। इसकी प्रासंगिकता प्रत्येक पल बढ़ती जा रही है, परन्तु यदि हम इसका दूसरा पक्ष देखें तो भ्रष्टाचार के देश में इतने मामले हैं कि देश में गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा और निर्धनता बढ़ती जा रही है जिसके कारण देश का विकास अवरूद्ध हो रहा है और नागरिक अपने सूचना के अधिकार के प्रयोग के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। सूचना का अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए सर्वप्रथम भ्रष्टाचार की जड़ों को उखाड़ फैंकना होगा तभी देश का विकास सच्चे अर्थो में संभव हो पायेगा।

सन्दर्भ

1. अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी. इन्टरनेशनल–2023.
2. सूचना का अधिकार अधिनियम–2005.
3. सूचना का अधिकार अधिनियम–2005. सिंह, देवेन्द्र कुमार।
4. सूचना का अधिकार– एक विवेचन. यादव, अभय सिंह।
5. परीक्षा मंथन ''निबन्ध श्रंखला''. भाग–3–2018–19
6. परीक्षा मंथन निबन्ध–भाग–4 ईयर बुक. (अ) संस्करण–2020
7. पूर्ववत।